



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 229 राँची, शुक्रवार,

15 मई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

30 जनवरी, 2024

ज्ञापांक : 01/स्था० (विविध)-112/2022 256/वि०--

विषय : वित्तविभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 (छः) कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के संबंध में ।

राज्य सरकार में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' का गठन किया गया है ।

2. झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 20.06.2019 तक 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु विभागीय स्तर पर समिति का गठन किया गया ।

3. वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंटी ऑपरेटर/स्टॉफ कार चालक/चालक/समूह 'घ' के पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए।

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 में नियमितीकरण हेतु निर्धारित शर्तों के आधार पर प्राप्त सभी प्रस्तावों की समीक्षा विभागीय सेवा नियमितीकरण समिति के द्वारा की गई। समिति द्वारा सम्यक्चिचारोपरांत तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नकर्मियों की सेवा को नियमितीकरण के योग्य पाया गया और उनकी सेवा नियमितीकरण की अनुशंसा की गयी :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कोटि	वेतनमान (7 th CPC के अनुसार)
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	चालक	अनारक्षित	Level-02
2	श्री देवानन्द सिंह	चालक	अनारक्षित	Level-02
3	श्री सुशील केरकेट्टा	चालक	अनुसूचितजन जाति	Level-02
4	श्री शैलेन्द्र सिंह	अनुसेवक	अनारक्षित	Level-01
5	श्री विक्की प्रसाद	अनुसेवक	अनारक्षित	Level-01
6	श्री राजू रजक	अनुसेवक	अनारक्षित	Level-01

5. उपरोक्त कंडिका-4 में सूचीबद्ध कुल 6 (छः) कर्मि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा सेवा नियमितीकरण हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं। इन सभी कर्मियों के सेवा नियमितीकरण प्रस्ताव में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया है।

6. अतः सम्यक्चिचारोपरांत राज्य सरकार ने विभागीय स्तर पर सेवा नियमितीकरण हेतु गठित समिति द्वारा अनुशंसित कंडिका-4 में सूचीबद्ध तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय में चालक/अनुसेवक के पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कुल 6 (छः) कर्मियों के सेवा नियमितीकरण करने का निर्णय लिया है।

7. सेवा नियमितीकरण आदेश संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 167/वि० दिनांक 18.01.2024 के क्रम में दिनांक 24.01.2024 के मद संख्या 11 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव।
